

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा/79/2017  
तारीख रजु 12.07.2017

उनवान

- 1.किशन
- 2.रामधन
- 3.अमरसिंह
- 4.मोहन
- 5.मुकेश
- 6.बहादुर
- 7.धनफूली

पिसरान किरोडी जाति माली  
बाढ करसौली तहसील हिण्डौन

-----सायल

बनाम

1.गोपाल पुत्र दुर्जन जाति माली निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन  
जिला करौली।

-----गैरसायल

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- श्री कृष्ण मुरारि शर्मा एडवाकेट।  
गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।


निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर  
वकालतन एक प्रार्थना पत्र मय मूल दावा ग्राम बाढ करसौली तहसील  
हिण्डौन के खसरा नंबर 1588, 1589, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598,  
1599, 1600 एवं ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन के खसरा  
नंबर 99, 100, 101 में अन्तरण व बेदखल नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत  
किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को  
जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान सायलान द्वारा दिनांक  
27.11.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनका  
गैरसायलान के साथ राजीनामा होने से प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते  
हैं। प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.  
एक्ट मुकदमा नंबर 79/2017 किशनलाल वगै. बनाम गोपाल वगै. नोट  
प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से  
कम हो।

  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

